भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3645
दिनांक 21 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

पॉक्सो अधिनियम

3645. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और देश भर में इसका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बाल संरक्षण ढांचे में किसी अंतराल और जांच में विलंब और जीवित बच्चे पीड़ित बच्चों के लिए अपर्याप्त पुनर्वास सेवाओं का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विधि प्रवर्तन अधिकारियों के प्रशिक्षण, जागरुकता कार्यक्रमों, बाल-हितैषी न्यायालयों की स्थापना सहित बाल संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय नई चुनौतियों और उभरते खतरों के आलोक में, बाल संरक्षण से संबंधित मौजूदा कानूनों की समीक्षा/संशोधन करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (घ): सरकार बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इस संबंध में कई पहलें की गई हैं। सरकार ने बच्चों को यौन शोषण और यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 क्रियान्वित किया है। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति, बच्चा है।

वर्ष 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था ताकि बच्चों के साथ यौन अपराध करने वालों के लिए दंड को और कठोर बनाया जा सके जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। इसका उद्देश्य अपराधियों और अपराधों को रोकना है।

इस अधिनियम की धारा 4 में "प्रवेशन लैंगिक हमला" के लिए न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास का प्रावधान है जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। यदि हमले के परिणामस्वरूप पीड़ित की मृत्यु हो जाती है या वह लगातार निष्क्रिय अवस्था में रहता है तो धारा 6 में मृत्युदंड या आजीवन कारावास का प्रावधान है।

धारा 8 में यौन उत्पीड़न के दोषी पाए जाने वालों के लिए न्यूनतम तीन से पांच वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान है जबकि धारा 10 में गंभीर लैंगिक हमले के लिए इसे न्यूनतम पांच वर्ष तक बढ़ा दिया गया है (किसी व्यक्ति पर कुछ गंभीर परिस्थितियों में इस अपराध का आरोप लगाया जा सकता है जैसे कि यदि बलात्कार विश्वास या अधिकार के रिश्ते में होता है या इससे गर्भधारण होता है इत्यादि)। इस अधिनियम की धारा 14 के तहत पोर्नोग्राफ़िक उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग करने पर सात वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय गठित करने का अधिदेश है जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मामलों को अत्यंत तत्परता और संवेदनशीलता के साथ निपटाया जाता है जो बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति कानून के शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण को दर्शाता है।

इसके अतिरिक्त, बच्चों को शोषण और हिंसा तथा यौन शोषण से बचाने के लिए पॉक्सो नियम, 2020 को भी अधिसूचित किया गया है। नियम-3 के तहत यह प्रावधान है कि स्कूल, क्रेच, खेल अकादमी या बच्चों के लिए कोई अन्य सुविधा सहित बच्चों को आश्रय देने वाली या बच्चों के नियमित संपर्क में आने वाली संस्था अपने प्रत्येक कर्मचारी का समय-समय पर पुलिस सत्यापन और उनकी पृष्ठभूमि की जांच कराएगी चाहे वह शिक्षण या गैर-शिक्षण, नियमित या संविदा या कोई भी कर्मचारी हो। ऐसी संस्था को यह भी

सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किया जाए।

पॉक्सो नियम-9 में यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालय, उचित मामलों में, स्वयं या बच्चे द्वारा या उसकी ओर से दायर आवेदन पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के पंजीकरण के बाद किसी भी स्तर पर बच्चे की राहत या पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजे का आदेश पारित कर सकता है। बच्चे को दिया गया ऐसा अंतरिम मुआवजा, तो उसे अंतिम मुआवजे यदि कोई हो में समायोजित किया जाएगा।

इसके अलावा, पॉक्सो नियम में यह भी प्रावधान करता है कि भोजन, कपड़े, परिवहन जैसे आकस्मिकताओं और अन्य आवश्यक जरूरतों के लिए विशेष राहत, यदि कोई हो तो बाल कल्याण समिति इसके लिए प्रदान की जाने वाली राशि के तत्काल भुगतान की सिफारिश कर सकती है। इस तरह का तत्काल भुगतान बाल कल्याण समिति से सिफारिश प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा।

न्याय विभाग बलात्कार और पॉक्सो मामलों से संबंधित मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटान के लिए विशेष पॉक्सो न्यायालयों सहित फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों (एफटीएससी) की स्थापना के लिए एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। उच्च न्यायालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 31.01.2025 तक, 30 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में **404 विशेष पॉक्सो न्यायालयों** सहित **754 एफटीएससी कार्यशील** हैं, जिन्होंने **3,06,000** से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

इसके अलावा, सरकार ने समय-समय पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, परामर्श, कार्यशालाओं और संबंधित हितधारकों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। पॉक्सो अधिनियम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, पूरे देश में सिनेमा हॉलों में और दूरदर्शन पर एक लघु फिल्म का प्रसारण किया गया। इसके बाद, मंत्रालय ने एक छोटे वीडियो क्लिप, एक ऑडियो क्लिप और एक पोस्टर के माध्यम से पॉक्सो अधिनियम के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी तरीके से शामिल करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है, जिसे पूरे भारत में विभिन्न माध्यमों से प्रसारित किया गया है। इन सृजनों के प्रभावी प्रचार-प्रसार और प्रभावी आउटरीच के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में भी इनका अनुवाद किया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने बच्चों को सुरक्षा/शिकायत और आपातकालीन सहायता के संभावित तरीकों के बारे में जानकारी

देने के लिए कक्षा 6ठी से कक्षा 12वीं तक की सभी पाठ्य पुस्तकों के कवर के पीछे बच्चों के लिए 24x7x365 टॉल फ्री हेल्पलाइन चाइल्डलाइन 1098 है, और पॉक्सो ई-बॉक्स प्रकाशित किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मिशन वात्सल्य योजना के तहत निम्नलिखित क्षेत्रीय सम्मेलन और संवेदीकरण/प्रसार कार्यशालाएं आयोजित की हैं:

i. क्षेत्रीय सम्मेलन: कुपोषण संबंधी समस्याओं के समाधान और मिशन वात्सल्य योजना सहित महिलाओं और बच्चों के विकास, सशक्तीकरण तथा संरक्षण के लिए कार्यनीतिक कार्यकलापों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और हितधारकों से संपर्क स्थापित करने हेतु क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए।

ii. प्रसार कार्यशालाएं: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 और इसके तहत नियम तथा मिशन वात्सल्य योजना सहित दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 पर राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला का आयोजन, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, संबंधित मंत्रालयों/विभागों, पुलिस के प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी)/किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों सहित बाल संरक्षण संस्थाओं और अन्य हितधारकों के साथ किया गया।

iii. जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सहयोग से मिशन वात्सल्य योजना सहित बाल अधिकार और संरक्षण पर पंचायती राज प्रतिनिधियों (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) और पुलिस के प्रतिनिधियों के **लिए संवेदीकरण कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम** आयोजित किए गए। इन कार्यशालाओं में मंत्रालय, एनसीपीसीआर, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, प्रशासनिक और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, जिला बाल संरक्षण अधिकारियों (डीसीपीओ), सीडब्ल्यूसी, जेजेबी, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों (एसजेपीयू), यूनिसेफ के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों के अधिकारियों ने भाग लिया।

iv वत्सल भारत: मिशन वात्सल्य सहित 'बाल संरक्षण, बाल सुरक्षा और बाल कल्याण' पर दिल्ली, भोपाल, मुंबई, रांची, गुवाहाटी और वाराणसी में **क्षेत्रीय संगोष्ठियां आ**योजित की गईं। क्षेत्रीय संगोष्ठियों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के सदस्यों, ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

v मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) के लिए मिशन वात्सल्य पोर्टल में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल के मॉड्यूल पर एक वर्चुअल तकनीकी प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया।

इसके अलावा, सीपीसीआर अधिनियम, 2005 की धारा 13(1)(ज) के तहत अपने अधिदेश के अनुसार एनसीपीसीआर लगातार निगरानी प्रयासों के साथ-साथ संवेदनशीलता और जागरूकता सृजन करने वाले कार्यकलापों का आयोजन भी कर रहा है, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण बाल संरक्षण विषयों, विशेष रूप से पॉक्सो तंत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हितधारकों को अच्छी तरह से जानकारी हो, वे सक्रिय रूप से शामिल हों और बाल संरक्षण प्रयासों को खासकर पॉक्सो ढांचे के भीतर बढ़ाने तथा बाल कल्याण संबंधी हितचिंताओं को दूर करने के लिए प्रभावी रूप से सुसज्जित हों। राज्य, जिला, गांव और ब्लॉक स्तर पर सरकारी अधिकारियों, एसपी, डीएम, एनजीओ, सीडब्ल्यूसी, डीसीपीओ, स्वयंसेवकों और अन्य सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला के सहयोग से की जाने वाली ये पहलें इस प्रकार हैं:

1. **डिजिटल पोर्टल का तैयार करना:** माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 4/2020 के एसएमडब्ल्यूपी(सी) और 6/2021 एसएमडब्ल्यूपी(सी) के संबंध में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए, आयोग ने बाल अधिकारों के उल्लंघन और वंचना से संबंधित आंकड़ा की समय पर, कुशल और निर्बाध निगरानी सुनिश्चित करने के लिए **कई डिजिटल पोर्टल** तैयार किए हैं। ऐसा ही एक पोर्टल है **बाल स्वराज-पॉक्सो ट्रैकिंग** पोर्टल है। यह पोर्टल बाल यौन शोषण के मामलों की तत्काल ट्रैकिंग की सुविधा देता है, पीड़ित को मुआवजा और पुनर्वास जैसी सेवाएं प्रदान करता है ताकि पॉक्सो पीड़ितों की देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

2. **बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री (सीएसएएम) का समाधान करना**: अगस्त 2024 में, आयोग ने **बाल यौन शोषण से संबंधी सामग्री (सीएसएएम)** पर एक बैठक बुलाई। इसमें बच्चों के यौन से संबंधित उत्तेजक सामग्री की ऑनलाइन उपलब्धता के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को आमंत्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, **05.08.2024 को एक संयुक्त बैठक में,** आयोग ने पोर्नोग्राफ़िक सामग्री देखने के बाद नाबालिगों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में चिंताजनक वृद्धि को रोकने के लिए संभावित समाधानों की खोज की। इस बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय और अन्य के प्रतिनिधि शामिल हुए।

3. **पॉक्सो के कार्यान्वयन पर क्षेत्रीय बैठकें:** आयोग ने **पॉक्सो: कार्यान्वयन में बाधा डालने वाले कारक और पीड़ितों को सहायता संबंधी पहलुओं** पर पॉक्सो पर क्षेत्रीय बैठकें आयोजित कीं, ताकि पीड़ितों को सहायता तंत्र उपलब्ध कराया जा सके और ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जा सके जहां एनसीपीसीआर /एससीपीसीआर सहायता प्रदान कर सकते हैं। नालसा, एनएफएसयू,एसवीपीएनपीए और बीपीआर एंड डी के सहयोग से आयोजित इन बैठकों में फोरेंसिक विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों और विधि से संबंधित प्रतिनिधियों सहित प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया। इसके अतिरिक्त, अपने पूर्वोत्तर सेल के माध्यम से, एनसीपीसीआर ने पीड़ितों की सहायता बढ़ाने और क्षेत्र में पॉक्सो प्रावधानों के कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए **पॉक्सो मामलों को प्रबंधित** करने पर परामर्श और राज्य-स्तरीय कार्यशालाएं आयोजित कीं।

***